न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 104/2018 दायरा दिनांक : 06.07.2018

उनवान

राघुलाल मुतबन्ना रामा, जाति बागरी, निवासी पुरा गैलाना, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– नाथुलाल पिसरान केशा, जाति बागरी, निवासी पुरागैलाना, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड मृतक द्वारा विधिक वारिसान–

1/1– धापू बाई – बेवा

1/2– जगदीश – पुत्री

1/3– सुमित्रा – पुत्री

2– रामलाल पिसरान केशा, जाति बागरी, निवासी पुरा गैलाना, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड मृतक द्वारा विधिक वारिसान–

2/1– कमलाबाई – बेवा

2/2– देवबाई – पुत्री

2/3– लाबूबाई – पुत्री

2/4– बुलाकबाई – पुत्री

3– सूरजबाई आ0 केशा, जाति बागरी, निवासी पुरा गैलाना, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अशोक चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2

की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 93/2011 निर्णय दिनांक 22.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आर्डर 39 रूल्स 1 व 2 व धारा 151 जा. दी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पूरा तहसील पिडावा में अपीलांट व रेस्पोडेंट के शामलाती खाता संख्या 54 नई 122 पुरानी में खसरा नम्बर 173/421 रकबा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 56 नया व 46 पुराने में खसरा नम्बर 170 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 388 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है जो अपीलांट व रेस्पोडेंट की सहखातेदारी में है। जिस पर प्रार्थी रेस्पोडेंट्स का कब्जा करीब 50 वर्ष से चला आ रहा है। उसका कब्जा एडवर्स पजेशन के आधार पर होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश चाहा, अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा का 3/8 हिस्सा अप्रार्थी ने उदा पिसरान नंदा बागरी, निवासी गैलाना को दिनांक 13.12.2010 को बेचान कर दिया जिससे किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण का संबंध नहीं रहा है, सहखातेदार के विरूद्ध आदेश जारी नहीं किया जा सकता, वादग्रस्त

रचनाकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★कोटा★ राजस्थान
सत्यमेव जयते

आराजी के सम्बन्ध में पूर्व से ही विवाद लम्बित है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का अस्थायी आदेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रथम दृष्टया राजस्व अभिलेख आराजी शामलाती खातेदारी में है सहखातेदार के विरूद्ध आदेश जारी नहीं किया जा सकता। उक्त प्रार्थना पत्र में इस विचारणीय प्रश्न दत्तक के सम्बन्ध में है इस विवादग्रस्त प्रश्न पर संज्ञेयता सक्षम दीवानी न्यायालय की है जब तक कि दीवानी विवादग्रस्त प्रश्नों का कोई निर्णय पारित नहीं कर दे तब तक राजस्व न्यायालय को प्रार्थना पत्र अस्थायी आदेश में अस्थायी आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है, इस आराजी में प्रत्यर्थी को न तो राजस्व अभिलेख कोई अधिकार देता है न ही कोई दीवानी न्यायालय का निर्णय ही इस संबंध में ही है । इस कारण प्रत्यर्थी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण और न सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है एवं न ही उसे अपरिमित क्षति होने की संभावना है। अप्रार्थीगण आराजी के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण उनके विरूद्ध अस्थायी आदेश जारी नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2018 अपास्त की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2065–2068 के खाता संख्या 54 की आराजी खसरा नम्बर 173/421 रकबा 12 बिस्वा, खाता संख्या 55 की आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की भूमि

2 कणाकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

केशा के खातेदारी की है जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के शामलाती खातेदारी की आराजी है । खाता संख्या 56 की आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 388 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा सरकार के खातेदारी की है जो कि नामान्तरकरण संख्या 41 से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के शामलाती खाते में दर्ज है । अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है। उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा